पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 40 / 2016

उनवान

ी पिता कचरू जाति बलाई निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

ाम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।
लदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

द अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 20/3/2018

में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के एकमात्र स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि संख्या (नया) 15 (पुराना) 15 के आराजी नम्बर 157/1018 रकबा 0.18 हे0 किया पटवार मण्डल अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादी नम्बर पर करीब 50 वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। साथ ही अपने ष पोषण कर रहा है। यह कि गैर कानूनी तरीके के उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी ाम दर्ज रेकार्ड हो गई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कोई व्यक्ति में निवास नही करता है। न ही इस नाम का कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर आया र्वे नम्बर को भू–माफिया से मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज करवा दी उक्त प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा कभी भी मौके पर आया न काश्त की है। न ही कब्जा है। वादी के कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर वादी को काश्तकार घोषित आवश्यक है। वादी व उसके परिजन उक्त भूमि पर पैतृक समय से काबिज है व आधिपत्य होने से शान्तिपुर्वक खेती करने से कानुनन खातेदारी हक प्राप्त करने है व उक्त प्रकरण में बताये गये नाम का व्यक्ति कभी गांव में मौजुद नही रहा वादी को उक्त सर्वे नम्बर की भूमि का खातेदार कृषक घोषित करने हेतु वाद पेश

की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन ाने पर प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल/अदम तामिल प्राप्त नही होने पर पत्रावली म्मन तामिल में नियत हुई। दौराने कार्यवाही प्रकरण का "राजस्व लोक अदालत ्याय आपके द्वार–2016) में चयन किया जाकर पक्षकारान् के नाम सूचना–पत्र जारी तिवादी संख्या के नाम जारी सूचना–पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट के इस आशय के हुआ कि ग्राम लोकिया में उक्त प्रतिवादी के नाम का कोई भी व्यक्ति निवास नही तत्पश्चात् वादी अभिभाषक को प्रतिवादी के नाम का नोटिस समाचार–पत्र में रवाये जाने निर्देशित किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2017 को ज्योति" समाचार–पत्र में प्रतिवादी के नाम से इस प्रकार "जाहिर सूचना" जारी कि इस नोटिस के द्वारा प्रतिवादीगण एंव हर आम व खास को सूचित किया जाता

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 40/2016

उनवान

1 अमरजी पिता कचरू जाति बलाई निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1 कालुराम पिता नानिया जाति भील निवासी लोकिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

2 तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 20/3/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पैश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी को प्रकरण से सम्बन्धीत मूल खातेदार/उसके विधिक वारिसान की विस्तृत जांच करने निर्देशित किया जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20/3/18 को जारी की गई।

(पूजा कुमारी पार्थ)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य